न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 109 / 2013

उनवान

1. छगना पिता मांगिया उर्फ मांगीलाल धाकड निवासी नराणा, तहसील तहाजपुर भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मु0 समोक उर्फ सुमित्रा पुत्री माधू धाकड पत्नी सत्यनारायण निवासी बूंती, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. मु0 मगनी पुत्री माधू धाकड पत्नी बजरंग लाल धाकड निवासी ढाणी भवसागर, पोस्ट डाबला कचरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. तुलसीराम पिता मांगिया उर्फ मांगीलाल धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. श्रीमती लादु पुत्री मांगीया उर्फ मांगीलाल धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. श्रीमती अलोल पत्नी माधु धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर हाल मुकाम ढाणी भवसागर, पोस्ट डाबला कचरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6. बिसना मु0 रामरतन धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
7. बंशी पिता हीरा धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर
8. बद्री पिता हीरा धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर
9. मदन पिता लादू धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर
10. श्रीमती रामू पुत्री हीरा धाकड पत्नि रूपा धाकड निवासी बेरी
11. श्रीमती सोहनी पुत्री हीरा धाकड पत्नि जगन्नाथ धाकड निवासी बेरी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. श्रीमती गंगा पुत्री हीरा धाकड पत्नि बरदू धाकड निवासी सरसिया चारणान, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

13. मोती पिता रामनाथ धाकड मृतक के बजाय :–

13/1 खाना पिता मोती धाकड निवासी नराणा मृतक के बजाय

13/1/1 गोपाल पिता खाना धाकड निवासी नराणा

13/1/2 कैलाश पिता खाना धाकड निवासी नराणा

13/1/3 राजू पिता खाना धाकड निवासी नराणा

13/2 जमनी पुत्री रामनाथ धाकड निवासी बलाण्ड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

13/3 भूरी पुत्री रामनाथ धाकड पत्नी सोनाथ धाकड निवासी गन्धेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 366/2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.5.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर एल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री जे सी दाधीच ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नराणा पटवार हल्का बेरी तहसील जहाजपुर स्थित आराजी नम्बर 522 रकबा 0.07 बीघा गैर मुमकिन चाह स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/3 हक हिस्सा नियत है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 6 से 12 का 2/3 हिस्सा है । इसमें माधु पिता भूरा धाकड प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हक हिस्सा नियत था । ग्राम नराणा पटवार हल्का बेरी तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नम्बर 299 रकबा 1.00 बीघा, आराजी नम्बर 523 रकबा 0.02 बीघा, आराजी नम्बर 525 रकबा 0.19 बीघा, आराजी नम्बर 534 रकबा 1.10 बीघा, आराजी नम्बर 289 रकबा 0.16 बीघा कुल किता 5 रकबा 04.07 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हक हिस्सा नियत है। ग्राम नराणा की चाह खसरा नम्बर 298 रकबा 0.05 बीघा गैर मुमकिन आता चाह जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता व वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हक व हिस्सा नियत है। जिसमें प्रतिवादी संख्या जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 का 1/16 हक, प्रतिवादी संख्या 7,8,9 का 5/8 व प्रतिवादी संख्या 6 व 13 का 1/4 है। ग्राम नराणा पटवार हल्का बेरी की आराजी नम्बर 191 रकबा 19.15 बीघा , आराजी नम्बर 192 रकबा 6.14 बीघा, आराजी नम्बर 290 रकबा 0. 19 बीघा, आराजी नम्बर 297 रकबा 2.07 बीघा, आराजी नम्बर 328 रकबा 4.07 बीघा, आराजी नम्बर 526 रकबा 2. 00 बीघा, आराजी नम्बर 184 रकबा 9.00 बीघा, कुल किता 7 रकबा 45.02 बीघा है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का एवं वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हक व हिस्सा है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा था। प्रतिवादी संख्या 7,8,9 का 1/3 हक व हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 का है। ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का बावडी में आराजी नम्बर 431 रकबा 0.05 बीघा, आराजी नम्बर 432 रकबा 1.04 बीघा, कुल किता 2 रकबा 1.09 बीघा जिसमें प्रतिवादीसंख्या 1,2,3 का 1/2 व वादीगण के पिता प्रतिवादीसंख्या 5 का 1/2 हक व हिस्सा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियत था। ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का बावडी की चाह खसरा नम्बर 433 रकबा 0.05 बीघा गैर मुमकिन चाह आराजी चाह में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 1, 2,3 का 1/3 हक व हिस्सा नियत है। जिसमें वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हक व हिस्सा नियत था एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 12 का 2/3 हिस्सा नियत है। ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का बावडी तहसील जहाजपुर में आराजी नम्बर 38 रकबा 4.10 बीघा, आराजी नम्बर 42 रकबा 10.18 बीघा आराजी नम्बर 102 रकबा 4.09 बीघा, आराजी नम्बर 103 रकबा 4.16 बीघा, आराजी नम्बर 104 रकबा 1.14 बीघा, आराजी नम्बर 105 रकबा 2.07 बीघा, आराजी नम्बर 107 रकबा 2.19 बीघा, आराजी नम्बर 122 रकबा 2.05 बीघा, कुल किता 8 रकबा 33.18 बीघा में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का 1/4 हक व हिस्सा नियत है। जिसमें 1/8 हक व हिस्सा वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 5 का था तथा शेष 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 13 का है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के परिवार का सजरा निम्न है:–

भुरा पिता रामनाथ

मांगीया उर्फ मांगीलाल फौत — माधु जीवित

छगना पुत्र प्रति 1 — तुलसीराम पुत्र प्रति 2 — लादी उर्फ लादू पुत्री प्रति 3

अलोल देवी पत्नि प्रतिवादी संख्या 4 — मगनी पुत्री वादी संख्या 2 वादी संख्या 2 — समोक उर्फ सुमित्रा पुत्री वादी संख्या 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

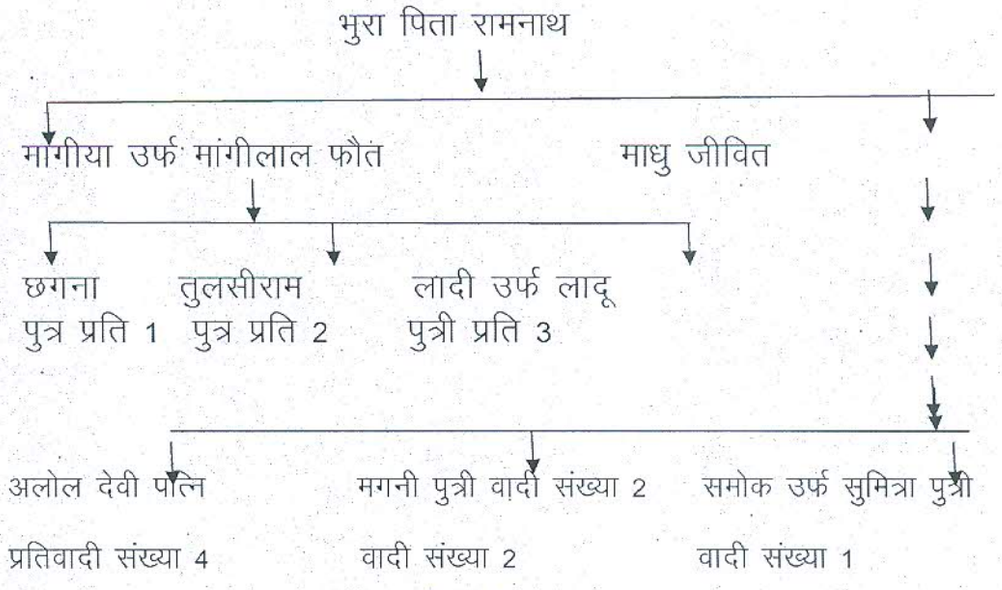

2. उक्त वर्णित आराजियात में कृषि आराजी एवं आराजी चाह नम्बर पैतृक है। पैतृक कृषि आराजी एवं आराजी चाह में चरण संख्या 1 से 7 में वर्णित हिस्सानुसार माधु पिता भूरा धाकड की हिस्से पर वादीगण का जन्म से हक व अधिकार होकर मालिकाना हक वादीगण का है। प्रतिवादी संख्या 5 का मात्र अपने हिस्से में उपयोग–उपभोग करने का था न कि पैतृक सम्पति के खुर्द बुर्द करने हक त्याग, दान रहन बक्षीस वसीयत करने का है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात एवं आराजी चाह को दिनांक 28.11.2006 को प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 को हक त्याग कर दिया जो विधि के अनुसार हक त्याग प्रारंभ से शून्य है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 की स्वअर्जित सम्पति नहीं थी। हक त्याग वाली सम्पति प्रतिवादी संख्या 5 की स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक सम्पति है इसलिए वादीगण अपनी दादा भूरा पितारामनाथ की पैतृक कृषि आराजियात एवं आराजी चाह को अपने नाम सह खातेदारी में दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है एवं माधु पिता भूरा धाकड के खाते की कृषि आराजी एवं आराजी चाह पर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त आराजियात पर माधु पिता भुरा धाकड के हिस्से पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रही है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 की पत्नि प्रतिवादी संख्या 4 का पालना पोषण कर रही है प्रतिवादी संख्या 5 भी कई वर्षो से वादीया की शादी बजरंग धाकड के साथ की थी तभी से वादीया संख्या 2 ही सेवा चाकरी करते थे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के बरगलाने में आकर एक गैर कानूनी शून्य हक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

त्याग की आड मे आकर वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1,2, 5 व्यवधान डालने पर तुले हुए है। तथा धमकियॉ दे रहे हैं कि उक्त कृषि आराजियात में काश्त की तो हम मारेंगें या मरेंगें। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 वादीगण के कब्जेकाश्त में व्यवधान न डाले न अपने नौकर एजेण्टों से डलवाये की स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त वर्णित आराजियात में माधु पिता भुरा धाकड का हिस्सा जो कि प्रतिवादीसंख्या 1 के कम करके वादीयागण का नाम राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार काश्तकार की घोषणात्मक डिक्री पारित कराये । दौरान वाद माधु पिता भूरा धाकड के हिस्से को प्रतिवादीगण अपने दादागिरी के बल पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर वादीयागण को बेदखल कर देते है। तो पुनः कब्जा वादीयागण को दिलाने की डिक्री एवं माधु तथा भुरा धाकड के हिस्से पर वादीगण को काश्त करने व कुए पर पानी का उपयोग उपभोग करने से प्रतिवादीगण को बेदखल न करने न अपने नोकर एजेण्ट रिश्तेदारों से करावें की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करवाई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र अनुसार कथन किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध होने के उपरान्त अपीलाण्ट/प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया जिस पर अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने दिनांक 5.8.08 अधिवक्ता जगदीश धाकड को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया । अधिवक्ता ने अपीलाण्ट/प्रतिवादी से कहा कि उन्हें प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी बुला लूंगा। लेकिन अपीलाण्ट/प्रतिवादी के अधिवक्ता आगामी पेशी दिनांक 14.10.2008 को उपस्थित नहीं हुए एवं अपीलाण्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं अपीलाधीन एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । जो खारिज योग्य है है।

6. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि माधू जी(प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 के पति) ने अपने हक हिस्से की समस्त आराजियात का दिनांक 28.11.06 को पंजीकृत हक परित्याग निष्पादित अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित कर दिया । जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण के पिता के हिस्से की आराजियात का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम पर खोल दिया गया । उक्त रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र को निरस्त कराये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण के पिता 40 साल पूर्व ही अपने ससुराल में गोद जाकर रहने लग गये थे। उसके बाद वे कभी नराणा स्थित वादग्रस्त भूमि पर कभी नही आये थे। तभी से ही उक्त वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादीगण व वादीगण के पिता का पिछले 40 सालों से कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। माधू जी की माता सणगारी भी अपीलाण्ट के पास ही रहती थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसकी सेवा चाकरी भी प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने की एवं उसके देहान्त के उपरान्त उनकाधार्मिक रिति–रिवाज अनुसार क्रिया कर्म भी प्रतिवादी अपीलाण्ट ने ही किया। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजियात पर कभी वादीगण का कब्जा रहा हो। वादग्रस्त पुश्तैनी रही हो इस संबंध में वादीगण द्वारा कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दौराने विचारण वाद प्रतिवादी संख्या 2 तुलसीराम पिता मांगीया उर्फ मांगी लाल व प्रतिवादी संख्या 13 मोती पिता रामनाथ धाकड का दौराने वाद विचारण देहावसान हो गया परन्तु उनके वारिसान को कायम मुकाम दर्ज नहीं किया गया एवं मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अधीनस्थन्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण के ससुराल में रहने से उनका पैतृक आराजियात में हक अधिकार समाप्त नही हो जाता है। पिता कर्ता खान दान थे एवं उनकी समस्त पैतृक सम्पति में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का जन्म से ही अधिकार निहित हो गया था । हक त्याग पत्र में भी यह कथन किया गया था कि उक्त सम्पति पैतृक है। वादग्रस्त आराजियात चूंकि पुश्तैनी थी इसलिए उस पुश्तैनी आराजियात का प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता को बय बक्षीस करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा जो हक परित्याग अपीलाण्ट के पक्ष में किया गया है वह शुरू से ही शून्य प्रभावी है। गवाह पी डब्ल्यू 4 गंगाराम आत्मज मोडूराम ने वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी होने का तथा भूरा धाकड के पिता का नाम रामनाथ एवं रामनाथ के पिता का नाम सालगा धाकड होने का कथन कर यह साबित किया है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/ वादीगण के पिता माधू पिता भूरा धाकड के खातेदारी अधिकार की भूमि थी। जिसका माधू धाकड द्वारा अपीलाण्ट के हक में 28.11.2006 को पंजीकृत हक त्याग पत्र निष्पादित किया गया है। जिसके आधार पर अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है। जिस पर कब्जा अपीलाण्ट ने स्वयं का होने का कथन किया है। प्रस्तुत दस्तावेजात, हाल, साबिक जमाबंदी नकल, मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी आराजियात थी जिसका खातेदारी माधू पिता भूरा धाकड को बय बक्षीस करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही था। चूंकि वादग्रस्त पैतृक आराजियात में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का हक अधिकार जन्म से ही निहित हो गया था। ऐसी स्थिति में माधू जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता है को पैतृक आराजियात का हक परित्याग करने का कानूनन अधिकार ही प्राप्त नहीं था। अपीलाण्ट का यह कथन कि जब कि रजिस्टर्ड हक परित्याग को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता है तब तक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण वादग्रस्त आराजियात के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हो सकते है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी थी जिसका हक परित्याग ही कानूनन सही नहीं है। इसलिए हक परित्याग को निरस्त कराये जाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी होना पर्याप्त साक्ष्य से साबित कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड एवं गवाहान के बयान का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

11. अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थन्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.5.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 10.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

10/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए / 109 / 2013

उनवान

1. छगना पिता मांगिया उर्फ मांगीलाल धाकड निवासी नराणा, तहसील तहाजपुर भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मु0 समोक उर्फ सुमित्रा पुत्री माधू धाकड पत्नी सत्यनारायण निवासी बूंती, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. मु0 मगनी पुत्री माधू धाकड पत्नी बजरंग लाल धाकड निवासी ढाणी भवसागर, पोस्ट डाबला कचरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. तुलसीराम पिता मांगिया उर्फ मांगीलाल धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. श्रीमती लादु पुत्री मांगीया उर्फ मांगीलाल धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. श्रीमती अलोल पत्नी माधु धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर हाल मुकाम ढाणी भवसागर, पोस्ट डाबला कचरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6. बिसना मु0 रामरतन धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
7. बंशी पिता हीरा धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर
8. बद्री पिता हीरा धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर
9. मदन पिता लादू धाकड निवासी नराणा तहसील जहाजपुर
10. श्रीमती रामू पुत्री हीरा धाकड पत्नि रूपा धाकड निवासी बेरी
11. श्रीमती सोहनी पुत्री हीरा धाकड पत्नि जगन्नाथ धाकड निवासी बेरी
12. श्रीमती गंगा पुत्री हीरा धाकड पत्नि बरदू धाकड निवासी सरसिया चारणान, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
13. मोती पिता रामनाथ धाकड मृतक के बजाय :–
    13/1 खाना पिता मोती धाकड निवासी नराणा मृतक के बजाय
    13/1/1 गोपाल पिता खाना धाकड निवासी नराणा
    13/1/2 कैलाश पिता खाना धाकड निवासी नराणा
    13/1/3 राजू पिता खाना धाकड निवासी नराणा

13/2 जमनी पुत्री रामनाथ धाकड निवासी बलाण्ड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13 / 3 भूरी पुत्री रामनाथ धाकड पत्नी सोनाथ धाकड निवासी गन्धेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 109 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपरु** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः—

यह अपील तारीख 10.8.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर एल जाट वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री जे सी दाधीच की उपस्थिति मे दिनांक 10.8.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थन्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.5.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 10.8.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

10/8/18

(निमिषा गुप्ता)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर को फ़ीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस